

विषय - लीगल एंड डिफेंस कौंसिल सिस्टम के अंतर्गत कार्यालय सहायक/क्लर्क एवं कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट) कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित प्राप्त कुल आवेदनो मे से पात्र एवं अपात्र की छटनी कर प्रकाशित की गयी सूची के संबंध मे प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण किये जाने बाबत ।

20.06.2025

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के विज्ञापन क्रमांक 32/जिविसेप्रा/डिफेंस/2024 बिलासपुर, दिनांक 04.01.2025 के परिपालन में कार्यालय लीगल एंड डिफेंस कौंसिल सिस्टम, बिलासपुर हेतु कार्यालय सहायक व भृत्य के पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशन पश्चात दिनांक 16.06.2025 को पात्र एवं अपात्र आवेदकों की सूची तैयार कर जिला न्यायालय, बिलासपुर के वेबसाईट में अपलोड कर तीन दिवस के भीतर दिनांक 19/06/2025 के कार्यालयीन समय पश्चात अपात्र आवेदकों से दावा आपत्ति मंगाई गई थी । जिसके पश्चात से दिनांक 19/06/2025 के कार्यालयीन समय पश्चात तक कुल 08 आपत्तियाँ बंद लिफाफे मे स्वतः उपस्थित होकर पेश की गयी है, जिसमें 02 कार्यालय सहायक व 06 भृत्य के पद हेतु पाई गई, उक्त आपत्तियो का बंद लिफाफा आज दिनांक 20/06/2025 को चयन समिति के समक्ष खोला गया ।

अपात्र आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्तियों पर विचार कर निराकरण किया गया जो निम्नानुसार है:-

01- कार्यालय सहायक हेतु प्राप्त आपत्तियाँ:-

क्र.	आ. क्र.	आवेदक का नाम	कार्यालय द्वारा उल्लेखित आपत्ति	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	आपत्ति निराकरण का विवरण
1	14	खगेन्द्र नाथ	कम्प्यूटर उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं	आवेदक द्वारा बीएसी कम्प्यूटर साईंस उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है	आवेदक द्वारा बीएसी उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमे कम्प्यूटर साईंस एक विषय के रूप में है इस प्रकार उक्त डिग्री केवल स्नातक की डिग्री है जबकि आवेदन पत्र के संलग्न दस्तावेज की सूची के अनुसार कम्प्यूटर योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना था और आवेदक के द्वारा कम्प्यूटर योग्यता संबंधी कोई प्रमाण पत्र आपत्ति के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है केवल स्नातक डिग्री पेश की गयी है ।

					अतः आपत्ति निरस्त की जाती है।
2	22	चंद्रप्रकाश श्रीवास	कम्प्यूटर उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं	आवेदक द्वारा बीएसी कम्प्यूटर साईंस उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है	आवेदक द्वारा बीएसी उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमे कम्प्यूटर साईंस एक विषय के रूप में है इस प्रकार उक्त डिग्री केवल स्नातक की डिग्री है जबकि आवेदन पत्र के संलग्न दस्तावेज की सूची के अनुसार कम्प्यूटर योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना था और आवेदक के द्वारा कम्प्यूटर योग्यता संबंधी कोई प्रमाण पत्र आपत्ति के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है केवल स्नातक डिग्री पेश की गयी है। अतः आपत्ति निरस्त की जाती है।

02- भृत्य हेतु प्राप्त आपत्तियों:-

क्र.	आ. क्र.	आवेदक का नाम	कार्यालय द्वारा उल्लेखित आपत्ति	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	आपत्ति निराकरण का विवरण
1	05	खीर कुमारी साहु	कक्षा 8 वी से अधिक शैक्षणिक योग्यता न होने के संबंध में शपथ पत्र संलग्न नहीं	आवेदक द्वारा कक्षा 8 वी से अधिक शैक्षणिक योग्यता न होने के संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है	आवेदक द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र की जांच पश्चात आवेदक को पात्र घोषित किया गया।
2	30	गजाधर कुमार प्रजापति	रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं	आवेदक द्वारा रोजगार पंजीयन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है	आवेदक द्वारा प्रस्तुत रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र की जांच उपरांत पाया गया कि आवेदन द्वारा बी०एड उत्तीर्ण किया गया है, कक्षा 08 वी से उच्च योग्यता होने पर अपात्र घोषित किया गया।
3	35	ब्रजराज	कक्षा 8 वी से अधिक शैक्षणिक योग्यता न होने के संबंध में शपथ पत्र संलग्न नहीं	आवेदक द्वारा कक्षा 8 वी से अधिक शैक्षणिक योग्यता न होने के संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है	आवेदक द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र की जांच पश्चात आवेदक को पात्र घोषित किया गया।
4	117	कृष्णा	कक्षा 8 वी से	आवेदक द्वारा कक्षा 8 वी से	आवेदक द्वारा घोषणा पत्र

		कुमारी	अधिकर शैक्षणिक योग्यता न होने के संबंध में शपथ पत्र संलग्न नहीं	अधिक शैक्षणिक योग्यता न होने के संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है	अवश्य पेश किया गया है किंतु उसके द्वारा संलग्न कक्षा 5 वी की अंकसूची में उसे दो विषयो मे ग्रेस दिया जाना और प्रोत्तिर्ण किया जाना उल्लेखित है और उसके बाह्य परीक्षा में प्राप्तांकों का प्रतिशत 41.00 ही है न कि 54 । अतः प्राविण्य सूची मे नही आने के कारण आवेदक की आपत्ति खारिज की जाती है ।
5	213	विक्रम कुमार	कक्षा 8 वी से अधिकर शैक्षणिक योग्यता न होने के संबंध में शपथ पत्र संलग्न नहीं	आवेदक द्वारा कक्षा 8 वी से अधिक शैक्षणिक योग्यता न होने के संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है	आवेदक द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र की जांच पश्चात आवेदक को पात्र किया गया ।
6	222	कल्पना यादव	कक्षा 8 वी से अधिकर शैक्षणिक योग्यता न होने के संबंध में शपथ पत्र संलग्न नहीं	आवेदक द्वारा कक्षा 8 वी से अधिक शैक्षणिक योग्यता न होने के संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है	आवेदक द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र में कक्षा 10 उत्तीर्ण होना उल्लेखित किया गया है, कक्षा 08 वी से उच्च योग्यता होने पर आपत्ति खरिज की जाती है ।

उपरोक्तानुसार भृत्य हेतु पात्र अभ्यर्थियों का नाम तत्संबंध मे पूर्व में जारी पात्र सूची में प्राविण्यता के आधार पर पुनः प्राविण्य सूची अंतिम रूप से जारी की गई तथा तदनुसार अपात्र सूची भी पुनः अंतिम रूप से जारी की गयी । कार्यालय सहायक हेतु प्राप्त 02 आपत्तियो को निरस्त करते हुये तत्संबंध मे पूर्व मे जारी पात्र तथा अपात्र आवेदको की सूची को अंतिम किया गया ।

उपर्युक्तानुसार सूची एवं आपत्ति निराकरण की सूची जिला न्यायालय, बिलासपुर की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने के संबंध में कार्यवाही सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर द्वारा की जाये ।

अध्यक्ष


(किरण त्रिपाठी)

तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर छ०ग०

सदस्य


(अनिल प्रभात मिंज)

अष्टम जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर छ०ग०

सदस्य


(अनुप सिंगा)

चतुर्थ अपर न्यायाधीश
न्याया. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश
बिलासपुर छ०ग०